कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 15 अ/82 वर्ष 2017–18 मौजा हुमनबेहरा/4060 बैतूल दिनांक 28 – 03–2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	हुमनबेहरा	**17.860**	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	सोनोरी लघु जलाशय

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बिस्सू वल्द दौलत, झुनिया, रमिया, पुत्री दौलत जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी	39	8.162	0.061
2	केशोराव वल्द जगन्नाथ जाति कुंबी निवासी टेमझिरा भूमि स्वामी	41	1.708	0.081
3	नत्थ्या वल्द भाल्या, निर्मला बेवा बलवत संदीप वल्द बलवंत कुंबी निवासी सोनोरी	42	2.429	0.303
4	चिन्ध्या वल्द बाजीलाल पंवार सा.देह भूमि	43/1	0.536	0.536
		44/1	0.03	0.030
		44/3	1.000	1.000
		45/2	0.500	0.500
		45/3	0.034	0.034
		46/1	1.500	1.050
		46/3	0.106	0.106

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	गुलाबराव वल्द बाजीलाल जाति पंवार पता सोनोरी भूमि स्वामी	43/2	-0.535	0.535
		44/2	0.500	0.500
		44/4	0.529	0.529
		45/1	0.500	0.500
		45/4	0.033	0.033
		46/2	1.500	1.500
		46/4	0.107	0.107
6	अच्छाराम ~~वल्द~~ देउ पता सा. देह	157/7	0.061	0.061
		160/2	0.262	0.101
		163	0.061	0.061
7	शिव वल्द कुदशा सा.देह भूमि स्वामी	166/19	0.405	0.021
		166/21	0.240	0.240
8	बकाराम वल्द बिहारी जाति गोंड सा0 देह भूमिस्वाति	166/20	-0.320	0.162
8	मुन्ना, जियालाल, बाबुलाल, सद्दू वल्द जुगन मुन्नी, अन्नू पिता जुगन, रमलो बेवा जुगरू, राधो, जुगन, झुम्मक वल्द जुगरू, जैग्गा बेवा दुघ्बन कोंदू वल्द दुध्बन, रम्मो, कम्मो, पारेधे फुली पिता दष्बन ना.बा.वली मां जुग्गो, कारू, सुंदर वल्द सुध्बन समला, समली पिता सुध्बन, कमलेश वल्द गाकड़ कमलती पिता गाकडू गोंड सा.देह भूमि स्वामी सुकलू सुकाली वल्द गना सा.देह भूमि स्वामी	169/1	0.915	0.752
9	कयलो, फुल्लों पिता जोगी, भैयालाल, सम्भूलाल वल्द जोगी सा.देह भूमि स्वामी	169/2	0.914	0.914
10	ंकराव, लुगाराव, हरिभाउ, सुधाकर वल्द बालाराम कला, पिता बालाराम जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	171/3	1.685	1.685
		171/4	1.759	1.759
		178/2	3.701	0.500
11	सम्पत्ति वल्द भैया जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	171/1	1.759	1.759
		178/1	3.700	0.500

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
12	उर्मिला जौ. बाबूलाल जाति कुंबी निवासी आमला भूमि स्वामी	171/2	1.677	1.677
13	गनपत वल्द लखमू, मीरा, पारबती पिता लखमू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी	173	0.097	0.097
14	सन्दरलाल वल्द सुध्बन सा.देह भूमि स्वामी	175/2	0.166	0.166
	कुलयोग		**37.431**	**17.860**

1— चूंकि सोनोरी लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 15 अ–82/वर्ष 17–18 /उमनबेहरा/ 4060 बैतूल दिनांक –3–2018

प्रतिलिपिः–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9– सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत हुमनबेहरा तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

02/04/18